

# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

(प्राथमिक शिक्षा)

दिनांक :- 06/07/17

पत्रांक :- 13 /

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक  
मिथिला पब्लिक स्कूल, भद्रेश्वर (फारबिसगंज)।

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 बके उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 24.08.16 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय मिथिला पब्लिक स्कूल, भद्रेश्वर, फारबिसगंज (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) पूर्व प्राथमिक कक्षा से अष्टम कक्षा तक संचालन हेतु तीन वर्षों 06/07/2017 से 05/07/2020 अवधि के लिये औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

01. प्रस्वीकृत किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनु0-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनु0-02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अतामकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह है कि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये भी किया जायेगा।
04. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचारण करेगा।
05. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कॅपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे :-
  - I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होते तक विद्यालय से निष्काशित किया जायेगा।
  - II. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
  - III. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिये किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

-: 02 :-

  
Principal  
Mithila Public School  
R. B. Nagar, Bhadrashwar

  
Director Cum Manager  
Mithila Public School





- V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा जायेगा।
- VI. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
- VII. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- VIII. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
08. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेगा।
09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत :-

विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल :- 02.7 एकड़

कुल निर्मित क्षेत्र :- 2.60 एकड़

खेल का मैदान का क्षेत्र :- हाँ

वर्ग कक्षा की कुल संख्या :- 35 (पैटीस)

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष :- हाँ

बातक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय :- हाँ

पेयजल की सुविधा :- हाँ

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर :- नहीं

बाधारहित पहुँच :- हाँ

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय :- हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिये होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय में आवंटित प्रस्वीकृत कोड संख्या **FP-255** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्घृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्राथमिक शिक्षा) के द्वारा समय-समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. विद्यालयों के लिये अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत जो मान और मानक निर्धारित हैं, उन्हें 03 (तीन) वर्षों के अन्दर पूर्ण कर लेनी पड़ेगी अन्यथा आपकी प्रस्वीकृति रद्द कर दी जायेगी। विद्यालय के लिये मान और मानक निम्नवत हैं :-

*[Signature]*  
Director Cum Manager  
Mithila Public School

*[Signature]*  
Principal  
Mithila Public School  
R. B. Nagar, Bhadrashwar





क्र. सं.	मद	मान और मानक													
01	शिक्षकों की संख्या														
	क. पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षा के लिए	<table border="1"> <tr> <td>प्रवेश किये गये बालक</td> <td>शिक्षकों की संख्या</td> </tr> <tr> <td>60 तक</td> <td>दो</td> </tr> <tr> <td>61-90 के मध्य</td> <td>तीन</td> </tr> <tr> <td>91-120 के मध्य</td> <td>चार</td> </tr> <tr> <td>121-200 के मध्य</td> <td>पाँच</td> </tr> <tr> <td>150 बालकों के उपर</td> <td>पाँच घन एक प्रधान अध्यापक</td> </tr> <tr> <td>200 बालकों के उपर</td> <td>छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा</td> </tr> </table>	प्रवेश किये गये बालक	शिक्षकों की संख्या	60 तक	दो	61-90 के मध्य	तीन	91-120 के मध्य	चार	121-200 के मध्य	पाँच	150 बालकों के उपर	पाँच घन एक प्रधान अध्यापक	200 बालकों के उपर
प्रवेश किये गये बालक	शिक्षकों की संख्या														
60 तक	दो														
61-90 के मध्य	तीन														
91-120 के मध्य	चार														
121-200 के मध्य	पाँच														
150 बालकों के उपर	पाँच घन एक प्रधान अध्यापक														
200 बालकों के उपर	छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा														
	ख. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिये	<p>1. कम-से-कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम-से-कम एक शिक्षक हो :-</p> <p>I. विज्ञान और गणित</p> <p>II. सामाजिक अध्ययन</p> <p>III. भाषा</p> <p>2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम-से-कम एक शिक्षक।</p> <p>3. जहाँ 100 से उपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहाँ-</p> <p>I. एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक</p> <p>II. अंशकालिक शिक्षण के लिए-</p> <p>अ. कला शिक्षा</p> <p>आ. स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षक</p> <p>ई. कार्य शिक्षा</p>													
02	भवन	<p>सभी मौसम वाला भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे -</p> <p>(i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम-से-कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह-मंडार-सह प्रधान अध्यापक कक्ष;</p> <p>(ii) बाधा मुक्त पहुँच;</p> <p>(iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय;</p> <p>(iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल;</p> <p>(v) रसोई, जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाए;</p> <p>(vi) सीमा दीवाल या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन कर सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं;</p> <p>(vii) खेल का मैदान;</p>													
03	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	<p>(i) पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस;</p> <p>(ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस ;</p> <p>(iii) पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे;</p> <p>(iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे</p>													
04	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की न्यूनतम संख्या	45 (शिक्षण तैयारी के घंटे सम्मिलित करते हुए)													
05	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।													
06	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।													
07	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।													

Principal  
Mithila Public School  
R. B. Nagar, Bhaereshwar.

Director Cum Manager  
Mithila Public School



विश्वासमाजन  
जिला कार्यक्रम परियोजना (प्रा0शि0)  
अपरिया  
09/07/17